

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुरा

(केन्द्रीय नजारत अनुभाग)

(सूचना)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में हेतु जनपद न्यायालय, गोरखपुर के प्रयोगार्थ विधि पुस्तकें यथा भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 एवं क्रिमिनल मेजर एक्ट (न्यू क्रिमिनल लॉ मैनुअल) को क्रय किया जाना है।

अतः इच्छुक व्यक्ति/फर्म उपरोक्त विधि पुस्तकों के संबंध में अपना आगणन दिनांक 19.12.2024 तक बंद लिफाफे में केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोरखपुर में अपराह्न 02:00 बजे तक प्राप्त करा दें। नियत तिथि के उपरांत कोई आगणन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अन्य विवरण केन्द्रीय नजारत अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

दिनांक-09.12.2024


09/12/24

(सुबोध वाष्णीय)

अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं.- 02,
गोरखपुरा

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

1. नाजिर आयुक्त कार्यालय, गोरखपुरा
2. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, गोरखपुरा
3. नाजिर तहसील सदर, गोरखपुरा
4. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुरा
5. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, गोरखपुरा
6. जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर में समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. सूचना पट्ट दीवानी न्यायालय, गोरखपुर पर चस्पा करने हेतु।
8. सिस्टम अधिकारी दीवानी न्यायालय, गोरखपुर को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. रेलवे जंक्शन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. बस स्टेशन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।